उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-209/2018/2048ए/71-1-2018-जी-211/2013 टी०सी०

लखनऊः दिनांक : 23 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

डा० पद्मावती गौतम, वरिष्ठ परामर्शदाता (महिला) जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ को सहआचार्य, आब्स एण्ड गायनी विभाग, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ के रिक्त पद के सापेक्ष सेवा स्थानान्तरण के आधार पर प्रवक्ता के रूप में कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1885/71-1-2014-जी०-211/2013 दिनांक 15-07-2014 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये के अधीन तैनात किया गय था। मेडिकल कालेज, आजमगढ में चिकित्सा शिक्षको की कमी के दृश्टिगत डा० पद्मावती गौतम की सेवा स्थानान्तरण अवधि 01-01 बढायी जाती रही है। अन्तिम बार डा० पद्मावती गौतम की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-116/2017/2172/71-1-1-18-जी-211/2013, दिनांक 09-10-2017 द्वारा एक वर्ष तक के लिये बढायी गयी थी। उक्त अवधि दिनांक 05-08-2018 को समाप्त हो गयी है।

2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनउ के पत्र सख्या- एम0ई0-2/2018/484, दिनांक 30-05-2018 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज,आजमगढ के आब्स एण्ड गायनी विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत डा० पद्मावती गौतम की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनांक 05-08-2018 के पश्चात 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये बढायें जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

<u>संख्या-209/2018/2048ए/(1) 71-1-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
02- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
03- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
04- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ।
05- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ
06- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ/बलिया।
07- कोषाधिकारी, आजमगढ।
08- संबन्धित चिकित्सा शिक्षक।
09- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in